

रफ्तार के कारण हतु दोनो पक्ष सहमत हे अतः प्रकरण
लोक अदालत में रफ्तार किया जाता है पक्षकारान
दिनांक 12/6/15 को लोक अदालत के
मामले उपस्थित रहे ।

12/6/15

पत्रावली केस को सजाते में पडा है
पत्रावली केस को सजाते में Not Press किया
अतः वाहीगुज को वास Not Press में वापीय किया जा रहा
ही किया गया से काय हीन दस्तावेज वापिस हो।
विशेष केस को सजाते में सजाया गया।

अखण्ड अधिकारी

एव पदेन सहायक कलक्टर

कचामन सिटी (जगत)

Not Press
3/12/15
12/6/15
अखण्ड
पत्रावली